



भाकृअनुप - केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान  
(समतुल्य विश्वविद्यालय)  
पंचमार्ग, ऑफ यारी रोड, वरसोवा  
अंधेरी (पश्चिम), मुंबई - 400061



एफ. नं. २३(१)/२०२४/स्था./

दिनांक १३ सितम्बर २०२४

कार्यालय आदेश

निदेशक, आईसीएआर-सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, मुंबई ने सीआईएफई न्यू कैंपस में टाइप V क्वार्टर में फ्लैट नंबर ३०१, डॉ. देबाजीत शर्मा, विभागाध्यक्ष, आईसीएआर - सीआईएफई, मुंबई को निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अंतर्गत पर आवंटित किया है :

1. यह कि लाइसेंस शुल्क एफ.आर. के तहत उसके वेतन से वसूल किया जाएगा। ४५-ए फ्लैट के कब्जे की वास्तविक तारीख से प्रभावी होगा।
2. उसे निर्धारित प्रपत्र में एक घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि उसके पास या उसके परिवार के किसी आश्रित सदस्य के नाम पर मुंबई जिले में कोई घर है/नहीं है।
3. लाइसेंस शुल्क की वसूली सरकार द्वारा जारी संशोधित दरों के अनुसार की जाएगी। भारत सरकार, शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, संपदा निदेशालय, नई दिल्ली द्वारा कार्यालय ज्ञापन संख्या १८०११/२/२०१५-पोल.।।। दिनांक १९ जुलाई, २०१७ और क्रमांक १८०११/२/२०१५-पोल.।।। दिनांक २९ जुलाई उक्त तिमाही के कब्जे की तारीख से जून, २०२०। वह एचआरए के भुगतान के लिए पात्र नहीं है।
4. अपनी पोस्टिंग के स्टेशनों पर/निकटवर्ती घरों के मालिक अधिकारियों के लिए लाइसेंस शुल्क की वसूली समय-समय पर जारी आईसीएआर आदेशों के अनुसार बढ़ी हुई दरों पर की जाएगी।
5. उसे सीआईएफई/आईसीएआर द्वारा समय-समय पर संशोधित सभी प्रासंगिक नियमों और आदेशों का भी पालन करना चाहिए।
6. क्वार्टर नंबर ३०१ का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा, यदि इसकी स्वीकृति इस कार्यालय के प्राधिकरण आदेश की प्राप्ति से आठ दिनों के भीतर प्राप्त नहीं होती है, तो आवंटि को आवेदन न करने की तारीख से तीन महीने की अवधि के लिए आवेदन करने से रोक दिया जाएगा और एक महीने की सामान्य लाइसेंस फीस का भुगतान करना होगा।

  
(के. एल. मीणा)

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (एस.जी.)

वितरण:

1. डॉ. देबाजीत शर्मा, विभागाध्यक्ष, आईसीएआर - सीआईएफई, मुंबई
2. निदेशक एवं संयुक्त निदेशक कक्ष, आईसीएआर - सीआईएफई, मुंबई
3. संपदा अधिकारी, सीआईएफई, मुंबई।
4. प्रभारी अधिकारी (कार्य), सीआईएफई, मुंबई।
5. सीएओ (एसजी)/नियंत्रक/ एफएंडएओ/एओ, सीआईएफई, मुंबई।
6. डीडीओ, सीआईएफई, मुंबई। लाइसेंस शुल्क की वसूली उसके द्वारा सूचित व्यवसाय की तारीख से उसके वेतन से की जा सकती है।
7. सचिव, आईजेएससी, सीआईएफई, मुंबई।
8. व्यक्तिगत फ़ाइल/सेवा पुस्तिका/डीलिंग सहायक
9. [webmaster@cife.edu.in](mailto:webmaster@cife.edu.in)
10. गार्ड फ़ाइल



**ICAR - CENTRAL INSTITUTE OF FISHERIES EDUCATION**  
(Deemed University)  
Panch Marg, Off Yari Road, Versova,  
Andheri (West), Mumbai-400061  
Tel. No. 022-26361446/7/8, Website : <https://www.cife.edu.in>



F. No. 23(1)/2024/Estt./

Dated 13<sup>th</sup> September 2024

**OFFICE ORDER**

The Director, ICAR-Central Institute of Fisheries Education, Mumbai has allotted Flat No. 301 in the Type V Quarters at CIFE New Campus to Dr. Debajit Sarma, Head, Aquaculture Division, ICAR – CIFE, Mumbai on the following terms & conditions mentioned here under:

1. That the license fee shall be recoverable from his salary under F.R. 45-A with effect from the actual date of occupation of the flat.
2. That he should furnish a declaration in the prescribed form that he owns/ does not own a house in the District of Mumbai either in his name or any of his dependent family members.
3. The recovery of license fee shall be made as per revised rates issued by the Govt. of India, Ministry of Urban Development & Poverty Alleviation, Directorate of Estates, New Delhi vide Office Memorandum No. 18011/2/2015-Pol.III dated 19th July, 2017 and No. 18011/2/2015-Pol.III dated 29th June, 2020 from the date of occupation of the said quarter. He is not eligible for the payment of HRA.
4. The recovery of license fee for the officers owning houses at/ near stations of their posting will be charged at the enhanced rates as per the ICAR orders issued from time to time.
5. He should also abide by all relevant rules and orders as modified from time to time by the CIFE/ ICAR.
6. That the allotment of the Quarter No. 301 will stand cancelled, if its acceptance is not received within eight days from the receipt of this Office Order of authorization will debar the allottee to apply for a period of three months from the date of non-acceptance subject to payment of one month's normal license fee.

  
(K.L.Meena)  
Chief Admn. Officer (SG)

**Distribution:**

1. Dr. Debajit Sarma, Head, Aquaculture Division, CIFE, Mumbai.
2. Director Cell/ Joint Director Cell, CIFE, Mumbai.
3. The Estate Officer, CIFE, Mumbai.
4. Officer Incharge (Works), CIFE, Mumbai.
5. CAO(SG)/Comptroller/F&AO/AOs, CIFE, Mumbai.
6. DDO, CIFE, Mumbai. Recovery of License Fee may be affected from his salary with effect from the date of occupation intimated by him.
7. Secretary, IJSC, CIFE, Mumbai.
8. Personal File/ Service Book/ Dealing Assistant
9. [webmaster@cife.edu.in](mailto:webmaster@cife.edu.in)
10. Guard File